

>

Title: Introduction of the narcotic drugs and psychotropic substances (Amendment) Bill, 2008 (Amendment of Section 2, etc.).

**ऑ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्वापक औषधि और मनःप्रावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN (SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN): The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985."

*The motion was adopted.*

**ऑ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---